कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-22.03.2025

विषय:- थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा चोरी के मुकदमे में वांछित 02 नफ़र अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद चोरी का मोबाइल व 1240/- रुपया नगद बरामद।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के धोखाधड़ी/चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा द्वारा **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0-286/2024 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी से संबंधित 02 नफ़र वांछित अभियुक्तगण 1. सुबाष कुमार पुत्र स्व प्रभुराम निवासी ग्राम केशरीपुर भड़हा थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी व 2. रमेश पटेल पुत्र स्व0चुन्नी लाल पटेल निवासी ग्राम बलिरामपुर थाना रोहनियां कमि0 वाराणसी को आज दिनांक-22.03.2025 को समय करीब 13.20 बजे भाष्कर पोखरा थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद चोरी का मोबाइल व 1240/- रुपया नगद बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी/बरादमगी के सम्बन्ध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 30.09.2024 को वादी मुकदमा/प्रार्थी ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनका बैग जिसमें किराये का 1,50,000/- रु0 व एक फोन चोरी कर लेने के संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना रोहनिया में मु0अ0सं0 286/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 गणेश दत्त त्रिपाठी द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. सुबाष कुमार पुत्र स्व प्रभुराम निवासी ग्राम केशरीपुर भड़हा थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी, उम्र 30 वर्ष।
2. रमेश पटेल पुत्र स्व0चुन्नी लाल पटेल निवासी ग्राम बलिरामपुर थाना रोहनियां कमि0 वाराणसी,उम्र 20 वर्ष।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त रमेश पटेल उर्फ बाबू पटेल ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने करीब 06 माह पहले भाष्कर पोखरा मन्दिर के पास कुछ दर्शनार्थी रात में सो रहे थे उन्हीं में से एक व्यक्ति का पर्स चोरी कर लिया था जिसमें एक मोबाइल व करीब 1,50,000 रुपया था। मोबाइल को मैंने कुछ दिन बाद ही सुभाष कुमार जिसे आपने पकड़ा है को 700/- रुपये में बेच दिया था और पैसे जो चोरी से मिले थे उसे मैंने पीने, खाने व

अपने शौक पूरे करने में खर्च कर दिये हैं। उसी में से यह 1240/- रुपया नगद मेरे पास बचा है जिसे आप लोगों ने बरामद किया है।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-</u> भाष्कर पोखरा थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी से, दिनांक- 22.03.2025 को समय करीब 13.20 बजे।

<u>बरामदगी का विवरण-</u> 01 अदद चोरी का मोबाइल कम्पनी वीवो व रंग नीला IMEI नम्बर 862051043185594, 862051043185586 व 1240/- रुपया नगद बरामद।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1- मु0अ0सं0 286/2024 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1- उ0नि0 गणेश दत्त त्रिपाठी थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी ।

2- उ0नि0 मुकेश पाल थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी ।

3- उ0नि0 ऋतुराज मिश्रा थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल

पुलिस उपायुक्त

वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।